न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 05/2023

उनवान

1. श्रीमतीस बाबरी पत्नी स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा उम्र बालिग निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्रीमती खानकी पुत्री स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा उम्र बालिगनिवासी नाड तहसील सलूम्बर हाल पत्नी हरजी मीणा नाड फला ओरवाडीया खरका तलाब कडुनी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती गंगा पुत्री स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर हाल पत्नी शंकरलाल मीणा निवासी देवगांव तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमती मंजू पुत्री स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर हाल पत्नी रमेश मीणा बोराज तवरान तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री वेणिया पुत्र स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
2. श्री उमा पुत्र स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी स्व. कन्हेयालाल पुत्र स्व. हरजा उर्फ हरजिया मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमती दीपिका पुत्री स्व. कन्हैयालाल मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
5. नरेन्द्र पुत्र स्व. कन्हैयालाल मीणा निवासी नाड तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
6. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ओरवाडिया सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–रेस्पोडेन्ट्स

सहायक कलक्टर सलूम्बर
सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा–75 एल. आर. एक्ट.

–::निर्णय::–

दिनांकः–20/08/2024

उपस्थितिः– श्री प्रकाश चन्द्र जोशी अधिवक्ता–अपीलान्ट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 7– एक पक्षीय
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट ग्राम पंचायत ओरवाडीया प.सं. सलूम्बर द्वारा विरासत नामान्तकरण सं. 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 के विरूद्ध पेश कर अंकित किया कि स्व. श्री हरजा उर्फ हरजिया पुत्र मनरूपा मीणा निवासी नाड ग्राम पंचायत

यक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

ओरवाडीया तहसील सलूम्बर कि दिनांक 06–02–2014 को मृत्यु हो गई थी जिसके विधिक उत्तराधिकारी वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो है। राजस्व लोक अदालत कैम्पं 2016 में दिनांक 01–05–2016 को ग्राम पंचायत ओरवाडीया द्वारा स्व. श्री हरजा उर्फ हरजिया पुत्र मनरूपा मीणा जाति मीणा निवासी नाड की दिनांक 06–02–2016 को मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 को स्व. श्री हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा के बजाय वारिसान – 1. वेणिया पुत्र स्व. हरजा उर्फ हरजिया, 2. उमा पुत्र स्व. हरजा उर्फ हरजिया, 3. कन्हैयालाल पुत्र स्व. स्व. हरजा उर्फ हरजिया के नाम विधि विरूद्ध पास किया गया था। स्व. कन्हेयालाल पिता स्व. हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा की भी मृत्यु होने से उसके वारिसान श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल मीणा, दीपिका पुत्री स्व. कन्हैयालाल मीणा, नरेन्द्र पुत्र स्व. कन्हैयालाल मीणा के नाम नमान्तकरण पास किया गया है उक्त नामान्तकरण के आधार पर ग्राम नाड पटवारी हल्का ओरवाडीया की जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 05, 37, 55, 57, 58 में अमलदरामद कर दिया है। जो गलत दर्ज हुआ है।

यह कि अपीलान्ट सं. 1 श्रीमती बाबरी पत्नी मृतक स्व. श्री हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा की पत्नी होकर विधिक वारिसान है जो 80 वर्षीय बुजुर्ग है तथा वारिसान श्रीमती खानकी, श्रीमती गंगा, श्रीमती मंजू स्व. हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा की जायंदा पुत्रीया होकर विधिक वारिसान है जिनके नाम भी नामान्तकरण पास किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है। इस कारण से ग्राम पंचायत ओरवाडीया तहसील सलूम्बर द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 को पास किया गया है जो विधि विरूद्ध होकर बिना अपीलान्ट को सूचना के अपनी मन मर्जी अनुसार कानून की पालना किये बिना ग्राम पंचायत ओरवाडीया द्वारा फैसल किया गया है जो मूलतः शूरूआत से ही शून्य होकर विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05–05–2023 को मिली की रेस्पोडेन्ट स्व. श्री हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा की कृषि भूमि को विक्रय कर रहे है तो अपीलान्ट ने पटवार हल्का ओरवाडीया से विरासत नामान्तकरण सं. 62 की प्रमाणित नकल एवं जमाबंदी नकल प्राप्त कि तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट सं. 1 बांबरी को घर से निकालने के बाद रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत ओरवाडीया से मिली भगत कर चुप चाप गैर कानूनी तरीके से बिना अपीलान्ट को सूचित किये और बिना जॉच के नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 को अपने पक्ष में पास करवा दिया है जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही 30 दिन के भीतर अपील पेश की है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि ग्राम पंचायत ओरवाडीया द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे एवं स्व: हरजा उर्फ हरजिया उर्फ हरजी पुत्र मनरूपा मीणा के विधिक उत्तराधिकारी वारिसान अपीलान्ट सं. 1 से 4 एवं रेस्पोडेन्ट 1 से 6 के नाम नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत ओरवाडीया से मिली भगत कर चुप चाप गैर कानूनी तरीके से बिना अपीलान्ट को सूचित किये और बिना जॉच के नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 को अपने पक्ष में पास करवा दिया है जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही 30 दिन के भीतर अपील पेश की है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अंदर मियाद दर्ज कर अपीलान्ट के न्यायाहित मे दाद प्रदान की जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर

बजरिये:– श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस.

अपील संख्या–05 / 2023

उनवान–श्रीमती बावरी बनाम श्री वेणिया

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट.

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 7 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 29–04–2024 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 व 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 6 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द कर पत्रावली मे अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलान्ट की बहस अपील मे अंकित तथ्यो के अनुसार रही।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तथा अपील के समर्थन मे पेश ग्राम पंचायत द्वारा जारी मृतक हरजीया उर्फ हरजा पिता मनरूपा मीणा के विधिक वारिसान का सजरा एवं आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिया प्रस्तुत की जिसके अवलोकर से अपीलान्ट मृतक हरजीया उर्फ हरजा पिता मनरूपा मीणा के विधिक वारिसान होना जाहिर होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार सलुम्बर को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है नामान्तकरण संख्या 62 फैसल दिनांक 01–05–2016 को आपास्त कर मृतक हरजीया उर्फ हरजा पिता मनरूपा के विधिक वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 20/08/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर